संख्या 479 /VI/2006

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पर्यटन अनुभाग :– देहरादून : दिनांक : 28 अप्रैल, 2006

विषय :– जिला सेक्टर योजनाओं के गठन हेतु दिशा – निर्देश।

महोदय

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सुनियोजित समेकित व समयबद्ध रूप से पर्यटन विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन, मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर पर्यटक स्थलों का उच्चीकरण तथा विभिन्न स्थलों का सौन्दर्यीकरण कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यान्वित की जा रही जिला योजनाओं के लिए निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं :–

(क):–

1. जिला पर्यटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष के लिए पर्यटक स्थलों का चयन किया जाएगा। उक्त चयनित स्थलों के पर्यटन विकास अथवा सौन्दर्यीकरण के लिए प्रस्ताव जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगें।

2. इन चयनित पर्यटक स्थलों के विकास हेतु निम्नलिखित कार्य करवाये जा सकते हैं :–

2.1 पहुंच मार्ग का सुधार/पैदल मार्गों का सुधार/पार्किंग स्थलों का विकास।
2.2 जन सुविधाओं/प्रसाधन सुविधाओं का विकास/स्नान घाटों का निर्माण/विकास।
2.3 पेयजल के अन्तर्गत स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण/हैण्ड पम्प की स्थापना।
2.4 परिसर में विद्युतीकरण/लाईटिंग लैम्पपोस्ट/हाईमास्ट की व्यवस्था (विद्युत लाईने, पोल आदि को छोड़कर ऐसी योजना में विद्युत बिल भेजें व योजना के संचालन का प्रमाण पत्र दिया जाए)।
2.5 साइनेजेज की स्थापना।
2.6 हैरिटेज बिल्डिंग/सोविनियर शॉप/फोटोग्राफी/रेस्टोरंट निर्माण/बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क/रैलिंग/व्यू प्वाइंट/पर्यटक स्वागत केन्द्र आदि का निर्माण।
2.7 प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन हेतु सड़क मार्गों व पैदल मार्गों पर व्यू प्वांइट्स का निर्माण।

3. चयनित स्थलों के सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जा सकते हैं :–

3.1 यात्री शेड/रेन शेल्टर का निर्माण।
3.2 बैठने हेतु बैंच, चबूतरे, छतरी आदि का निर्माण।
3.3 प्रवेश द्वार का निर्माण।
3.4 फर्श निर्माण।
3.5 बाउण्ड्रीवाल/फेसिंग का कार्य।
3.6 साइनेजेज।

(ख):— <u>योजना हेतु शर्तें</u> :—

1. परियोजना की अधिकतम लागत रू0 20.00 लाख तक की होगी।

2. परियोजना की स्थापना सार्वजनिक भूमि पर हो व परियोजना लोक सम्पत्ति मानी जाएगी।

3. परियोजना का कार्य 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

4. परियोजनाओं के चयन में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान भी रखा जाय।

5. परियोजना के कार्यों को जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति में प्रस्तुत करने से पूर्व जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था भूमि की उपलब्धता, संचालन/रख–रखाव सुनिश्चित करेंगें।

6. परिव्यय के सापेक्ष जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए जिला पर्यटन विकास परिषद जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को कार्य के आंगणन व प्रस्ताव 1 माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेंगें।

7. नये तथा चालू योजनाओं के लिए कार्यदायी संसी के मांग के अनुरूप जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति के माध्यम से परियोजनावार परिव्यय निर्धारित करवाया जाय।

8. चालू कार्यों के लिए कार्य की प्रगति के अनुसार धनराशि अनुमोदित की जाएगी। 75 प्रतिशत से अधिक कार्य वाली योजना हेतु सर्वप्रथम तथा 50 से 75 प्रतिशत तक प्रगति वाली योजना हेतु उसके पश्चात तथा अन्ततः 25 से 50 प्रतिशत प्रगति की योजना हेतु धन की व्यवस्था रखी जाय।

9. प्रस्तावित परियोजनाओं की उपयोगिता एवं उसका पर्यटन गमनागमन में अनुकूल प्रभाव से सम्बन्धित औचित्य योजना के आंगणन में प्रस्तुत किया जाय।

10. सभी परियोजनाओं के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे व्यक्तिगत न होकर सार्वजनकि हित से सम्बन्धित हो।

11. मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण आदि के प्रस्तावों पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगें कि सम्बन्धित मन्दिर/भवन पुरातत्व के अन्तर्गत आरक्षित न हों व उस पर पुरातत्व सम्बन्धी अधिनियम लागू न हो।

12. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता हो, उनके लिए प्रथम किस्त के रूप में 1000/– टोकन मनी की ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत करवाई जाये ताकि भूमि हस्तान्तरण के समय योजना की स्वीकृति में बाधा उत्पन्न न हो एवं जब औपचारिक रूप से भूमि हस्तान्तरण पर्यटन विभाग के पक्ष में हो जाएगा तब भुगतान अन्य योजनाओं की भांति इन योजनाओं में भी किया जाएगा।

13. जिन योजनाओं में वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता होगी, उनकी भूमि हस्तान्तरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण इकाई की होगी।

14. निर्माण इकाईयों का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल, 2005 के अनुसार किया जायेगा।

15. प्रत्येक कार्य पर समय–समय पर हुई प्रगति के कम से कम तीन स्तरों (प्रारम्भिक स्थिति, मध्य स्थिति, कार्य पूर्ण होने की स्थिति) पर फोटोग्राफ्स।

16. उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। आंगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार तैयार किये जाय जिनमें अनुमोदित दरें संलग्न हों। आगणन में लमसम प्राविधान अपरिहार्य परिस्थितियों में ही रखा जाय।

17. स्वीकृत परियोजनाओं के डिजायन/मानचित्र आदि पर सक्षम अधिकारियों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निर्माण इकाईयों का होगा जिसके लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।

18. संलग्न परीक्षण प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव के साथ सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण</u> :–

1. साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कराने का दायित्व विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन/जिला साहसिक खेल अधिकारियों एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारियों का होगा।

2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी साहसिक पर्यटन कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक जनपद हेतु परिव्यय जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति से अनुमोदित करायेंगें।

3. साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित धनराशि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से सीधे जिलाधिकारियों को अवमुक्त की जायेगी।

4. जिला सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण सम्बन्धी पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम जिला अनुश्रवण एवं नियोजन समिति से अनुमोदित कराया जाय, तथा भौतिक लक्ष्य भी निर्धारित किये जाय।

5. साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित उपकरणों का क्रय भी किया जा सकता।

जिला सेक्टर योजनाओं के चयन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया :-

उपर्युक्त उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण जिला पर्यटन सलाहकार समिति के स्तर पर करने के पश्चात उपयुक्त प्रस्तावों को जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं नियोजन समितियों की बैठकों में परिव्यय की उपलब्धता के अनुरूप अनुमोदित किया जायेगा तथा निर्धारित मानकों के अनुसार योजनाओं के आंगणन अनुमोदन के एक माह के अन्तर्गत गठित करवा कर जिला पर्यटन विकास अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगें। चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण पर्यटन विकास अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगें। चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित धनराशि की मांग वरियता में प्राथमिकता के आधार पर रखी जायेगी तथा नये कार्यों को तत्पश्चात लिया जायेगा, इस कार्य को सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी अपने जनपद की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में सुनिश्चित करायेंगें। इसी प्रकार साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित धनराशि एवं प्रस्तावों के अनुरूप वित्तीय स्वीकृति हेतु मांग का प्रस्ताव सम्बन्धित विशेष कार्याधिकारी/जिला साहसिक खेल अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। अन्ततः उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद स्तर पर आंगणनों का परीक्षण कर 15 दिन के भीतर प्रस्ताव शासन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जायेंगें।

प्रस्ताव के साथ निम्न बिन्दुओं पर सूचना आवश्यक होगी :

1. सम्बन्धित निर्माण इकाई के विभागाध्यक्ष की संस्तुति आंगणन के साथ आवश्यक होगी।

2. पर्ट चार्ट (वित्तीय/भौतिक) आंगणन में सम्मिलित होगा।

3. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य पूर्ण की तिथि का स्पष्ट उल्लेख आंगणन में होगा। पर्ट चार्ट के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में पेनाल्टी भी लगायी जायेगी जो निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण व उनकी अनुमानित लागत, वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में पर्यटन आवागमन, क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण, योजना समाप्ति की सम्भावित तिथि तथा योजना संचालन व रख-रखाव की व्यवस्था का विवरण संलग्न किया जायेगा जिसे जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित निर्माण संस्था द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

5. योजना को प्रस्तावित करने से पूर्व भूमि चयन के फोटोग्राफ्स एवं भूमि की उपलब्ध तथा भूमि के मूल दस्तावेजों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

6. पर्यटन सम्बन्धी निर्माण कार्यों में स्थानीय भवन शिल्प (Architee fram) स्थानीय पर्यावरण से निर्माण सामग्री/निर्माण शिल्प की साम्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निर्माण शिल्प में स्थानीय शिल्प, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक छटा को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाय।

7. समस्त भवन सम्बन्धी व अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्यों में भूकम्परोधी तकनीकों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या /VI/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
7. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून/अल्मोड़ा।
9. विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, अल्मोड़ा।
10. समस्त जिला साहसिक खेल अधिकारी, उत्तरांचल।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द वर्द्धन)
अपरसचिव।

योजना परीक्षण प्रारूप

1. योजना का नाम–

2. योजना का कार्य स्थल (पता)–(ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जनपद)

3. प्रस्तावक का विवरण–

4. भूमि की उपलब्धता/यदि वन भूमि है तो उक्त भूमि में लगे पेड़ों की स्थिति, भूमि निर्विवाद होने का प्रमाण पत्र सहित–

5. रख–रखाव हेतु प्रमाण पत्र–

6. योजना स्थल पर विगत तीन वर्षों का पर्यटन गमनागमन की तथ्यात्मक सूचना–

7. योजना, विभाग द्वारा तैयार कराये गये मास्टर प्लानों के अन्तर्गत किस पर्यटन सर्किट/पर्यटन गन्तव्य के अन्तर्गत है–

8. योजना की श्रेणी :–

(क)– मुख्य पर्यटक स्थलों व पर्यटन मार्ग पर,
(ख)– अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर,
(ग)– नया पर्यटक स्थल–

(कृपया श्रेणी के आगे विवरण इंगित करें व शेष **"X"** चिन्हित कर दें)

9. योजना के क्रियान्वयन से पर्यटकों को क्या–क्या लाभ प्राप्त होंगें ?–

10. योजना से राज्य शासन को क्या लाभ प्राप्त होगा ?–

11. योजना से कितने लोगों को रोजगार सुलभ होगा ?–

12. आंगणन शासन द्वारा निर्धारित इकाईयों द्वारा तैयार किया गया है ? यदि नहीं, तो औचित्य प्रस्तुत किया जाय–

13. आंगणन पर पर्ट चार्ट लगा है ?–

14. मंदिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/गिरिजाघर आदि के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना :–

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय पहचान के सम्बन्ध में पुष्टि।
(ख) जिले के गजेटियर में स्थान।
(ग) प्रामाणिक इतिहास।

(घ) धार्मिक ग्रन्थों में उल्लेख।
(ङ) पुरातात्विक महत्व।
(च) समिति का सोसायटी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या।
(छ) समिति का विगत तीन वर्ष का आय–व्यय लेखा।

योजना के पर्यटनोपयोगी होने के सम्बन्ध में जिला पर्यटन सलाहकार समिति की संस्तुति है अथवा नहीं–

****